न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 89/2017 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2017/00234

1. साहबराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूतरगढ़ जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामचन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी श्योपुरा 4 (केएसआर) तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।
2. श्रीमति परमेश्वरी देवी पुत्री स्वं. रामप्रताप पत्नि श्री दलीप जाति जाट निवासी चक 22 जी.एल. गणेशगढ़ के पास ढाणी तहसील व जिला श्री गंगानगर।
3. दौलतराम
4. कृष्णलाल
5. वनवारीलाल

पुत्रगण रामप्रताप जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. श्रीमति अनकौरी पुत्री स्वं. श्री रामप्रताप पत्नि श्री चेतराम निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. श्रीमति सरस्वती देवी पुत्री स्वं. रामप्रताप पत्नि श्री आदराम जाति जाट निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. श्रीमति सन्तोष पुत्री स्वं. रामप्रताप पत्नि श्री दयाराम जाति जाट निवासी ग्राम अयालकी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. श्रीमति मीरा पुत्री स्वं. श्री रामप्रताप पत्नि श्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) सूतरगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री विजय कुमार पारीक
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 09 — श्री ज्ञानसिंह

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 18.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 4 केएसआर का पत्थर नं. 62/342 के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 हैक्टयर व किला नं. 7 ता 14 की 2.024 हैक्टयर भूमि मूल रूप से रामप्रताप की खातेदारी भूमि थी। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 24.04.2013 के द्वारा रामप्रताप की वसीयत दिनांक 29.04.1994 के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामचन्द्र के हक में नामान्तरणकरण दर्ज किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 24.04.2013 के विरूद्ध अपीलांट ने अति0 जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील पेश की गई। सूरतगढ के निर्णय दिनांक 18.07.2017 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की गई तथा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूतरगढ़ का निर्णय यथावत् रखा गया है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया गया है। वसीयत प्रथम दृष्टया शून्य है। वसीयत की ही नही गई थी। तहसीलदार द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही इंतकाल दर्ज किया गया है जबकि यह स्पष्ट है कि मृतक रामप्रताप के नौ वारिस थे, पुत्र एवं पुत्रीयां थी फिर एक के हक में वसीयत क्यों कि गई, शेष को क्यों छोड़ा गया कोई कारण अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में यह अंकित किया है कि अखबार में साया करवा दिया गया था समधावधि में उपस्थित नहीं हुए तथा अपील का कोई कारण नही है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई अखबार नही आता, ना ही पढे लिखें है। कानून का प्रावधान है कि समस्त वारिसान का नोटिस दिया जावें और तामिल करवाया जावें, अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की अनदेखी की है। वसीयत को प्रमाणित किया जाना आवश्यक था, परन्तु तहसीलदार से वसीयत को प्रताणित नही करवाया गया है। उक्त भूमि सभी पक्षकारों के पिता की भूमि थी। सभी वारिसान का हक है। सभी के हक में विरासतन इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 18.07.2017 एवं तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 24.04.2013 को निरस्त किया जावें तथा मृतक रामप्रताप के समस्त वारिसान के हक में विरासतन इंतकाल दर्ज किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता रामप्रताप ने अपनी पैतृक संपत्ति अपने 10 वारिसान के पक्ष वसीयत निष्पादित कर दी। उक्त वादगत भूमि रामप्रताप की स्व अर्जित सम्पत्ति है। रामप्रताप ने दिनांक 29.04.1994 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वसीयत की। आज भी रामप्रताप के 9 वारिसान एक तरफ हैं और केवल साहबराम के द्वारा ही व्यथीत होकर अपील पेश की गई है। रामप्रताप की मृत्यु वर्ष 2012 में हुई थी। उक्त वादगत भूमि की वसीयत दिनांक 24.04.1994 में की गई। जिससे यह स्पष्ट हैं कि रामप्रताप ने अपने जीवन काल में अपनी स्वेच्छा में वसीयत तैयार कर ली थी। राम प्रताप की मृत्यु के पश्चात वर्ष 2013 में इंतकाल की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा उक्त इंतकाल की कार्यवाही के विरूद्ध आपत्ति पेश करने हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 11.02.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर इंतकाल दर्ज किया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2017 पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.04.2013 को विधिसम्मत मानते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर निर्धारित अवधि में आपत्ति नहीं आने पर दर्ज किया हैं जो एक विधिक प्रक्रिया है। तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 24.04.2013 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया और न ही किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर